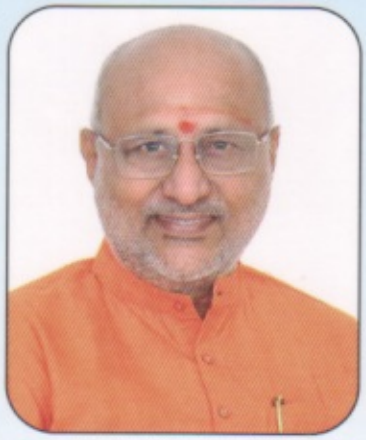

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अंतर्गत
पंचम झारखण्ड विधान सभा के
चतुर्दश सत्र (05.02.2024–06.02.2024), के आरंभ

में

माननीय राज्यपाल, झारखण्ड

श्री सी.पी. राधाकृष्णन

का

अभिभाषण

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)
झारखण्ड, राँची

Address
of
Hon'ble Governor of Jharkhand

SHRI C. P. RADHAKRISHNAN

at
the commencement
of
14th Session (05.02.2024-06.02.2024), of the
Fifth Jharkhand Legislative Assembly
under Article 176 (1) of the
Constitution of India

Cabinet Secretariat and Vigilance Department
(Parliamentary Affairs)
Jharkhand, Ranchi

झारखंड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य जोहार!

पंचम झारखंड विधान सभा के इस 14वें सत्र में
सभी माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन।

नव वर्ष 2024 में विधान सभा के इस प्रथम सत्र के अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों एवं समस्त प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। संसदीय लोकतंत्र में इस संस्था और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों पर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि आप सभी सजगता एवं तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तथा प्रदेश के विकास में रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं।

चार साल पहले राज्य सरकार को लोगों के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने तथा प्रदेश में सर्वांगीण विकास करने का जनादेश मिला था। इस दौरान सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने की पूरी कोशिश की है। हमारे सामने लक्ष्य कार्य अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करना और भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध राज्य का निर्माण करना था, जिसके मूल में जन कल्याण हो। हमारी सरकार किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।

2. विकसित, समृद्ध और खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करने के दृढ़ संकल्प के साथ राज्य सरकार ने गंभीरता से काम करना शुरू किया। हमने पिछली नीतियों में आवश्यक बदलाव किए, नई विकासोन्मुख नीतियां लाई और सरकार के कामकाज में आवश्यक सुधार किए, हर स्तर पर जन भागीदारी में वृद्धि के साथ एक स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

3. राज्य सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रही है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े और दलित सभी अपने अधिकारों का आनंद ले सकें और सामाजिक न्याय के साथ विकास के लक्ष्य हासिल किये जा सकें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पहल के माध्यम से हमारी सरकार यह सुनिश्चित

करने के लिए पंचायतों तक गई कि लाभ और सेवाएं राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। योजना के तीन चरण सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जा चुके हैं।

4. सुशासन और सामाजिक न्याय विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और भ्रष्टाचार को इसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार की बीमारी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस वर्ष भ्रष्टाचार से संबंधित कुल 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं, 62 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया एवं 42 भ्रष्ट लोक सेवकों को सफलतापूर्वक रंगे हाथ पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है।

5. राज्य सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द का वातावरण सुनिश्चित करने हेतु कृतसंकल्पित है। प्रदेश में सभी अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिये गम्भीर एवं निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

6. हमारी सरकार राज्य में नक्सलियों की गतिविधियों पर काबू पाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति सुधारने में सफल रही है और हम नक्सली समस्या को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 400 से अधिक नक्सली गिरफ्तार किये गये हैं।

7. हमारी सरकार नक्सल विरोधी अभियान के अलावा नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए भी प्रयास कर रही है। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत अब तक कुल 269 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें खुली जेल में रखा गया है और उन्हें विभिन्न लाभ / सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

8. साइबर अपराधियों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिविम्ब प्रतिभा पोर्टल बनाया है जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पिछले तीन

महीनों में उक्त पोर्टल के उपयोग से 102 FIR दर्ज किये गये हैं और अब तक 479 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

9. हमारी राज्य सरकार श्रम कानूनों को सरल बनाने और श्रमिक कल्याण योजनाओं को लागू करने में सबसे आगे है। श्रम कानूनों में व्यावहारिक एवं आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं जो निजी निवेशकों एवं श्रमिकों दोनों के हित में हैं। इससे उद्योग को और बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार सृजन हो रहा है। 01.10.2023 के प्रभाव से अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 352.28 रुपये निर्धारित की गई है। इस बढ़ोतरी से करोड़ों श्रमिकों को फायदा हुआ है।

10. राज्य सरकार दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित कर रही है। पिछले एक वर्ष में 168 प्रवासी मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

11. राज्य सरकार दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों को सुविधाएं और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से देश के 10 अलग–अलग राज्यों के साथ MoU करने का भी प्रयास कर रही है।

12. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वंचितों के दरवाजे तक कौशल विकास पहुंचाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य के युवाओं के कौशल को विकसित करने के लिए बिरसा (Block Level Institute for Rural Skill Aquistion) योजना शुरू की गई है। वर्तमान में यह योजना राज्य के 80 ब्लॉकों में सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।

13. कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सफल प्रमाणीकरण के तीन माह के भीतर रोजगार पाने में असमर्थ रहे युवाओं को प्रेरित करने एवं उनका मनोबल बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000/– रूपये प्रतिमाह तथा युवतियों/विकलांगो/परलैंगिकों

को 1500/– रूपये प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है।

14. राज्य में पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनुकूल औद्योगिक माहौल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि Tata Cummins Pvt. Limited के साथ 350 करोड़ रुपये, Tata Tinplate Limited के साथ 350 करोड़ रुपये तथा वरुण बेवरेजेज के साथ 456 करोड़ रुपये के निवेश के MoU पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

15. सरकार ने राज्य में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति, 2023 और झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 शुरू की है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत, झारखंड आईटी डेटा सेंटर और बीपीओ निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 और झारखंड स्टार्ट अप नीति–2023 को अधिसूचित किया गया है, जो IT/ITeS और स्टार्टअप के क्षेत्र में युवाओं के बीच उद्यमिता को काफी बढ़ावा देगा।

16. हमारा राज्य तसर रेशम उत्पादन में अग्रणी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 1000 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 780 मीट्रिक टन तसर रेशम का उत्पादन किया जा चुका है। राज्य में तसर सिल्क के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह–2024 के अवसर पर झांकी की थीम झारखंड के तसर सिल्क के सांस्कृतिक, पारंपरिक और ऐतिहासिक वैभव को समेटे हुए थी। झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी उत्पादों के प्रचार और विकास के लिए काम कर रहा है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार पैदा हो रहा है।

17. राज्य में नियुक्तियों की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए विभिन्न श्रेणियों के 46,150 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है, जिसमें से 45,574 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।

झारखंड सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत 349 पदों पर सीधी एवं बैकलॉग नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

18. राज्य सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार पूरे राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–204 में 2096 करोड़ रूपये की लागत से **81 सड़कें, 02 पुल एवं 03 सड़क उपरी पुल योजनाओं** का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा स्वीकृत योजनाओं में 64 सड़कों एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। जिसमें कुल 1714 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है। अब तक लगभग 1410 किलोमीटर सड़कों को सवारी गुणवत्ता में सुधार के साथ चौड़ा/मजबूत/पुनर्निर्मित किया गया है और 02 उच्च स्तरीय पुल और 03 आरओबी का निर्माण किया गया है।

19. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले 90 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 549 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

20. सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत संचालित बसों के लिए टोल छूट परमिट शुल्क, फिटनेस जांच शुल्क और वाहन पंजीकरण शुल्क 01/– रुपया निर्धारित किया है। इसके अलावा नई बसें खरीदने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज की दर से राज्य सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

21. किसी भी विकास के लिए ऊर्जा एक पूर्व शर्त है। हमारी सरकार सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

22. कृषि हमारे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है और रोजगार भी प्रदान करती है। कृषि और किसान दोनों की प्रगति हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के सभी किसानों के पास खेती के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन हों, हमारी सरकार बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना के तहत Saturation Mode में 01 लाख सिंचाई कुओं का निर्माण कर रही है।

23. राज्य में पहली बार वित्तीय वर्ष 2023–24 में ब्लॉक चेन सिस्टम के माध्यम से 13 लाख किसानों का पंजीकरण कर लगभग 2.10 लाख किसानों के बीच खरीफ एवं रबी बीज का वितरण किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत रबी के कुल 14,581 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज शत–प्रतिशत अनुदान पर वितरित किये गये हैं।

24. राज्य सरकार मछली पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सभी स्रोतों से कुल 3.3 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 7093 स्थानीय मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के माध्यम से 139227 लाख मछली स्पॉन एकत्र किया गया है।

25. झारखण्ड दुग्ध महासंघ ने राज्य के 22 जिलों में Milk pooling point से जुड़े 2934 गांवों के 30038 दूध उत्पादकों को आच्छादित किया है और अधिकतम 1.53 लाख लीटर दूध एकत्र किया गया है तथा 16 करोड़ रूपये की राशि दुग्ध उत्पादकों को उनके बैंक खाते के माध्यम से हस्तान्तरित किये जा रहे हैं। महासंघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा प्रदाय किये गये दूध के लिये भुगतान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकार 2 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन/समर्थन मूल्य का भी भुगतान कर रही है।

26. पलामू जिले में 50,000 लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट लगाने का काम पूरा हो चुका है। साहेबगंज और देवघर जिले में 50 हजार लीटर क्षमता के नये डेयरी प्लांट का संचालन शुरू किया गया है।

27. राज्य में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार और लाइनिंग कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 171 करोड़ रुपये खर्च कर 5171 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बहाल की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के विभिन्न जलाशय योजनाओं के पुनरुद्धार के लिए 206 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, जिससे 26778 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बहाल की जा सकेगी।

28. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में झारखंड राज्य के लिए आच्छादित किये जाने वाले अधिकतम 2.64 करोड़ लाभार्थियों के विरूद्ध शत–प्रतिशत लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिन्हें जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

29. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् कुल 66 लाख परिवारों को प्रति माह 01 किलोग्राम चना दाल 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है।

30. पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत, राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पीवीटीजी परिवारों को उनके दरवाजे पर बंद पैकेट में प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) मुफ्त प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 74597 परिवार लाभान्वित हो रहें हैं।

31. जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी शहरों में शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61.94 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल जल (एचआईसी) के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 27.91 लाख (48.28 प्रतिशत) परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। ग्राम सभा के माध्यम से 1182 गांवों को "हर घर जल गाँव" घोषित किया गया है।

32. राज्य प्रायोजित निधि से चाकुलिया, लातेहार, गोड्डा एवं मधुपुर, बासुकीनाथ, राजमहल, धनबाद (चरण–2), चक्रधरपुर, रांची चरण–2बी, चतरा, मंझिआंव, कोडरमा, दुमका, देवघर की शहरी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव किया जा रहा है।

33. स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम (जी) के तहत अब तक 48 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। शौचालयों के नियमित उपयोग, रख–रखाव एवं ठोस एवं तरल अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है।

34. प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य सरकार द्वारा 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। इसके अलावा KGBV, एकलव्य विद्यालयों और अन्य स्कूलों के माध्यम से झारखंड के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

35. राज्य सरकार ने कक्षा 08 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक चयनित कुल 5,000 छात्रों को 12000/– रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति के लाभार्थियों का चयन करने के लिए JAAC ने अगस्त 2023 में एक परीक्षा आयोजित की जिसमें 64544 छात्रों ने भाग लिया और 2855 छात्र सफल हुए, जिन्हें DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाएगी।

36. प्रदेश में आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 से 12 तक के विद्यार्थियों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी करायी जा रही है। इसके अलावा कक्षा 11 से 12 के लिए पहले से संचालित इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के साथ–साथ वर्तमान वर्ष से CLAT की तैयारी के लिए 26 छात्रों ने नामांकन किया है। आकांक्षा कार्यक्रम

के तहत कुल 23 छात्र इंजीनियरिंग के लिए JEE Mains 2023 में सफल हुए हैं, जो इस कार्यक्रम की उपयोगिता साबित करती है।

37. राज्य सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये का ऋण दिया जा सकता है। विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 15 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

38. मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

39. मारंग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में स्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित पाठ्यक्रमों में मास्टर/एम.फिल डिग्री जैसी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस छात्रवृत्ति योजना से अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 05, पिछड़ी जाति के 07 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 03 सहित कुल 25 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

40. साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र–छात्राओं को 4500/– रूपये की दर से साइकिल वितरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 271 लाख साइकिलें छात्र/छात्राओं के बीच वितरण करने की कार्रवाई की जा रही है।

41. विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को अच्छे

शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने एवं पूर्व निर्मित छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने हेतु अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण/नवीनीकरण योजना के तहत कुल 30 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

42. स्वस्थ जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हमारी सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के आदिम जनजाति बहुल गांवों के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2023–24 में मोबाइल विलेज क्लिनिक योजना को मंजूरी दी गई है।

43. राज्य के नागरिकों को रक्त संबंधी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट तथा सभी जिलों के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गयी है।

44. जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव के लिए 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये दिये जा रहे हैं। संस्थागत प्रसव जो 2001 में 13.5 प्रतिशत था वह 2023–24 में बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 5.5 लाख गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव तथा 53 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं को सी–सेक्शन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। चालू एक वर्ष में 65 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क भोजन तथा 67 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

45. हमारी सरकार ने बुजुर्गों, विकलांगों, निराश्रित महिलाओं, आदिम जनजाति परिवारों की वयस्क महिलाओं और एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न पेंशन योजनाओं को सरल बनाकर वर्ष 2021–22 में सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के कार्यान्वयन के बाद, 4.26 लाख

अनुसूचित जाति, 8.35 लाख अनुसूचित जनजाति, 16,173 आदिम जनजाति समुदाय के व्यक्ति और 2.69 लाख नये निराश्रित महिला लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इस योजना के तहत हमारी सरकार ने अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की सभी महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र लोगों को शामिल किया है।

46. सरकार प्रदेश के आंगनबाडी केन्द्रों पर आने वाले 3–6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ठंड से बचाने और सर्दियों के दौरान नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में लगभग 13 लाख बच्चों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

47. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी सोच एवं गहन योजना की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कुल 225 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रांची शहर के दो सबसे व्यस्त चौराहों कांटा टोली चौक और बहू बाजार चौक पर कुल 2240 मीटर लंबे Integrated Flyover का निर्माण जून 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है।

48. राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पीपीपी मोड पर मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र के तहत मेसर्स अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड, चेन्नई को 2.75 एकड़ भूमि पट्टे पर उपलब्ध करा रही है।

49. वित्तीय वर्ष 2023–24 में महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत कुल स्वीकृत 9 सौ लाख मानव दिवस के विरूद्ध 911.49(101.28 प्रतिशत) लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जिसमें कुल राशि 2962.40 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

50. महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत दीदी बाड़ी एवं दीदी बगिया योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना के तहत उन्हें मेट एवं बागवानी सखी के रूप में प्रशिक्षित एवं नियोजित किया जा रहा है।

51. राज्य के सभी परिवारों के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार राज्य प्रायोजित अबुआ आवास योजना के तहत वर्ष 2027 तक कुल 20 लाख परिवारों को आच्छादित करने जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

52. पंचायत सचिवालय को जीवंत एवं पूर्णतः क्रियाशील बनाने हेतु पंचायत सचिवालय के संचालन एवं रख–रखाव हेतु पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत पंचायत सचिवालय भवन को ग्राम पंचायत के एकीकृत कार्यालय के रूप में विकसित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।

53. राज्य सरकार द्वारा Suo-Moto म्यूटेशन की प्रक्रिया राज्यव्यापी स्तर पर शुरू की गई है। इसके तहत भूमि निबंधन के समय निबंधन सॉफ्टवेयर NGDRS से पंजीकृत विलेख झारभूमि पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम में स्वतः ही अंचल कार्यालयों को भेज दिया जाता है और अंचल अधिकारी के स्तर पर म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है।

54. राज्य सरकार ने प्रदेश के आंतरिक वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर तथा कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से विकासोन्मुख योजनाओं को धरातल पर लाकर समावेशी समग्र विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। यह कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ी हैं और पूर्व में लिये गये अधिक ब्याज वाले ऋण भी समय से पहले चुकाये जा रहे हैं।

55. राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण की भविष्य में अदायगी की सुविधा हेतु राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से सिंकिंग फण्ड में निवेश प्रारम्भ कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 तक इस फंड में 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य में ओपीएस लागू होने के बाद सरकार ने भविष्य में वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023–24 में पेंशन फंड की स्थापना की है। इसमें पहली बार 700 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

56. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत कुल 19574 नए करदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार राज्य में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गयी है। राज्य में क्रियान्वित की जा रही कर समाधान योजना के तहत माह दिसम्बर 2023 तक 322 करोड़ की वसूली की जा चुकी है।

57. अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में ट्रैक एण्ड ट्रेस सिस्टम प्रारंभ किया गया है। एक्साइज बिल्डिंग में एक्साइज केमिस्ट्री लेबोरेटरी को 01.04.2023 से चालू कर दिया गया है। इससे अब प्रदेश में ही आबकारी उत्पादों की जांच संभव हो गयी है।

58. राज्य सरकार प्रदेश की जनता को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। 01 जनवरी 2023 से आज तक कुल 510 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस वर्ष प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू किया गया है।

59. राज्य में न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास के लिए लोहरदगा में 20.15 करोड़ रुपये की लागत से 12 न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य तथा 19.49 करोड़ रुपये की लागत से गुमला में 9 न्यायालय भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रशासनिक

अधिकारियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से रांची में ATI के नये भवन का निर्माण 155.56 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

60. राज्य सरकार सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस को प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग कर रही है। सरकार द्वारा Aadhar Sharing of information regulation, 2016 के तहत सभी नागरिकों की जानकारी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आधार इकोसिस्टम के लिए सूचना सुरक्षा नीति, 2023 बनाई गई है।

61. वन संरक्षण के प्रति समर्पित एवं निरंतर प्रयास अत्यावश्यक एवं समय की मांग है। वन संवर्द्धन एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार के सतत् प्रयासों से राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.09 प्रतिशत हो गया है, जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप है और प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है।

62. मुख्यमंत्री जन–वन योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023–24 में लगभग 29 हजार हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाये गये हैं। शहरों को हरा–भरा बनाने और नागरिकों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों और आसपास के क्षेत्रों में गैबियन लैंडस्केपिंग और हिल ग्रीनिंग का काम किया जा रहा है।

63. प्रदेश के खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 5 करोड़ रुपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है।

64. महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह पहली बार था कि भारत को इसकी मेजबानी मिली और हमारे राज्य को 27.10.2023 से 05.11.2023 तक रांची में इस प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय महिला टीम ने खिताब जीता और टीम में सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान जैसी झारखंड हॉकी खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हमारे राज्य और देश को

गौरवान्वित किया। जनवरी, 2024 में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर, 2024 भी रांची में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था।

65. माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष राज्य सरकार की प्रमुख नीतियों एवं कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। राज्य सरकार ने जन कल्याण के क्षेत्र में रणनीतिक और सुविचारित नीतियों के माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए एक रचनात्मक और अनुकूल वातावरण तैयार किया है। राज्य की इस यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपके सकारात्मक और रचनात्मक समर्थन और बहुमूल्य सुझावों की आवश्यकता है।

66. मुझे विश्वास है कि इस राज्य के लोगों के सामूहिक हित में, सभी माननीय सदस्य मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने और इस राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रचनात्मक तरीके, साधन और समाधान खोजने में पूरे दिल से सहयोग करेंगे।

67. मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा एवं पवित्रता बनाये रखेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी के स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करता हूँ और मुझे आपके बीच आने और झारखंड को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई गतिविधियों और कार्यों को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

जय हिन्द ! **जय झारखण्ड !**